प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

1 मार्च 2023

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार – 24 फरवरी 2023

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने दिनांक 24 फरवरी 2023 के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार' के द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है। एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से आह्वान किया है कि अक्तूबर 2022 में अपनाए गए म्यांमार से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है।

एफएटीएफ ने पहले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों को कार्यनीतिक कमियों और बढ़ी हुई निगरानी के तहत पहचाना था, जिन्होंने उनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना तैयार की थी। ये क्षेत्राधिकार हैं– अल्बानिया, बार्बाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, दि केमैन आइलैंड्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दि कोंगों, जिब्राल्टर, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। दिनांक 24 फरवरी 2023 के एफ़एटीएफ़ सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, बढ़ती निगरानी के अंतर्गत एफएटीएफ द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर **दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया** को अब सूची में शामिल किया गया है, जबकि **कंबोडिया और मोरक्को** को इस सूची से हटा दिया गया है।

एफएटीएफ प्लेनरी कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ **वैध** व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी 24 फरवरी 2023 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक वक्तव्य और दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

i) https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2023.html

ii) https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और विधिक, विनियामक और परिचालनगत उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन को वेध बनाने और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ का निर्णयन निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन वक्तव्यों को अद्यतन करता है, जिसपर कृपया ध्यान दिया जाए।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1814